

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—:: अधिसूचना ::—

पटना-15, दिनांक-29-4-2018

संख्या-21/एस.एस.सी.-56/2013, सा.प्र.5614/बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम, 7, 2002) एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 26 2007) की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंतनाथ देव, बि.प्र.से., (सेवानिवृत्त विशेष सचिव) को बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अधिकतम पाँच वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-21/एस.एस.सी.-56/2013, सा.प्र.5614/पटना-15, दिनांक-29-4-2018

प्रतिलिपि:-ई.-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. की प्रति के साथ दो प्रतियों में प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे राजपत्र में प्रकाशित करते हुए इसकी 50 (पचास) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-21/एस.एस.सी.-56/2013, सा.प्र.5614/पटना-15, दिनांक-29-4-2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-21/एस.एस.सी.-56/2013, सा.प्र.5614/पटना-15, दिनांक-29-4-2018

प्रतिलिपि:-मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।